


सं. 21/124/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-11, भवन, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

30 SEP 2013



श्री अर्जुन सिंह,

95-आई, सैनिक हाउसिंग सोसायटी,

सरोजनी नगर, लखनऊ,

उत्तर प्रदेश, पिन-226008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 08.08.2013 के आवेदन तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 26.08.2013 एवं 30.08.2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में, 29.06.2013 से आज की तारीख तक नियुक्त किए गए राज्यपालों के नामों को दर्शाने वाली सूची संलग्न है।

2. आपको राज्यपाल के पद पर नियुक्त न किए जाने के कारण के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार "सूचना" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, इस पत्र के संबंध में अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस) और प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11, भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष की जा सकती है।

भवदीय,

(आशुतोष जैन)

निदेशक एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

